फाइल नं0-71-3099/6/2021-03

125/2023/I/433718/2023

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,
अयोध्या।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनॉक 24 नवम्बर, 2023

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-24 में केन्द्र सहायितत योजना (फेज-1) के अंतर्गत संयुक्त चिकित्सालय दर्शननगर, अयोध्या को उच्चीकृत कर राजर्षि दशरथ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या के निर्माण कार्य हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश के रूप में धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-मे0का0अ0/2023/2063, दिनांक 13.10.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मेडिकल कालेज, अयोध्या के निर्माण कार्य हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत प्रायोजना हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित द्वितीय पुनरीक्षित लागत रू0 245.6418 करोड़ के सापेक्ष विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से अब तक कुल रू0 23335.98 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है, जो निम्नवत् है:-

क्र0सं0	शासनादेश संख्या व दिनांक	धनराशि (रू0 लाख में)
1	संख्या-146/2016/1802/71-1-2016-जी-229/2016, दिनॉक 26-07-2016	500.00
2	संख्या-204/2016/3057/71-1-2016-जी-229/2016, दिनॉक 19-12-2016	1000.00
3	संख्या-77/2017/881/71-1-2017-जी-229/2016, दिनॉक 22-05-2017	554.16
4	संख्या-121/2017/3444/71-1-2017-जी-229/2016, दिनॉक 03-11-2017	5500.00
5	संख्या-04/2018/111/71-3-2018-जी-229/2016, दिनांक 24-03-2018	4500.00
6	संख्या-46/2018/1034/71-3-2018-जी-158/2017टीसी-5, दिनांक 17-12-2018	1000.00
7	संख्या-60/2019/386/71-3-2019-61/2018टीसी-2, दिनांक 27-03-2019	150.00
8	संख्या-72/2019/485/71-3-2019-जी-229/2016, दिनांक 29-04-2019	1200.00
9	संख्या-776/71-3-2019-61/2018टीसी-2, दिनांक 02.08.2019	3000.00
10	संख्या-89/2019/1295/71-3-2018-61/2018टीसी-2, दिनांक 22.11.2019	1193.00
11	संख्या-135/2021/ई-1911434/71-3-2021-जी-229/2016, दिनांक 09.11.2021	3000.00
12	संख्या-74/2022/ई-2073605/71-3099/6/2021-03, दिनांक 13.04.2022	800.00
13	संख्या-97/2022/I/189034/2022-71-3099/6/2021-03 , दिनॉक 13.07.2022	527.00
14	संख्या-97/2023/I/369226/2023-71-3099/6/2021-03 , दिनॉक 16.08.2023	411.82
	योग	**23335.98**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संयुक्त चिकित्सालय दर्शननगर, अयोध्या को उच्चीकृत कर स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत निम्न विवरणानुसार **रू0 12.2820 करोड़ (रू0 बारह करोड़ अट्ठाइस लाख बीस हजार मात्र)** की धनराशि स्वीकृत किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0	लेखाशीर्षक	बजट प्राविधान	धनराशि
1	लेखाशीर्षक '4210-03-105-67- पॉच जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेज की स्थापना ' में मानक मद- 24- वृहद निर्माण कार्य में	रू0 20.00 करोड़ (केन्द्रांश)	5.8628 करोड़
2	लेखाशीर्षक '4210-03-105-8925- पॉच जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेज की स्थापना' में मानक मद- 24- वृहद निर्माण कार्य में	रू0 30.00 करोड़ (राज्यांश)	1.4192 करोड़
3	लेखाशीर्षक "4210-03-105-80- मेडिकल कालेज, अयोध्या में मानक मद- 24 वृहद निर्माण कार्य में	रू0 5.00 करोड़ (राज्यांश)	5.00 करोड़
	कुल योग-		12.2820 करोड़

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

1. मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश में उल्लिखित सुसंगत शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
3. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैंक खाते में नही रखा जायेगा।
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 4210031056700 (पांच जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेज की स्थापना (के. 60/रा. 40 - के.+रा.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	4210031056700 पांच जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेज की स्थापना (के. 60/रा. 40 - के.+रा.)	24 वृहत् निर्माण कार्य	5,86,28,000 (रुपये पांच करोड़ छियासी लाख अट्ठाईस हजार मात्र)
	कुल			**5,86,28,000** **(रुपये पांच करोड़ छियासी लाख अट्ठाईस हजार मात्र)**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

लेखाशीर्ष: 4210031058000 (मेडिकल कालेज, अयोध्या)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	4210031058000 मेडिकल कालेज, अयोध्या	24 वृहत् निर्माण कार्य	5,00,00,000 (रुपये पांच करोड़ मात्र)
	कुल			**5,00,00,000** **(रुपये पांच करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4210031058925 (पांच जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेज की स्थापना)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	4210031058925 पांच जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेज की स्थापना	24 वृहत् निर्माण कार्य	1,41,92,000 (रुपये एक करोड़ इकतालीस लाख बयान्वे हजार मात्र)
	कुल			**1,41,92,000** **(रुपये एक करोड़ इकतालीस लाख बयान्वे हजार मात्र)**

महायोग	12,28,20,000 (रुपये बारह करोड़ अट्ठाईस लाख बीस हजार मात्र)

5- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या ई-3-221/दस-2023-24, दिनांक 22 नवम्बर, 2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव।

संख्या/दिनांक, उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. कोषाधिकारी, अयोध्या।
7. वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, गोमती नगर, लखनऊ।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।